

रिपोर्ट पटवारी भैरों कागुडा तहसील कुराबड़ जिला उदयपुर

प्राणी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है। ग्राम खोदाभूते कागुडा  
की खाता संख्या 225 में प्राणी का नाम येनराम पिता लाला दर्ज है,  
जबकि प्राणी के नाम सरकारी दस्तावेजों में सही नाम येना पिता लाला दर्ज है। खाते  
में दर्ज नाम प्राणी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंश है। अतः ग्राम खोदाभूते कागुडा की खाता  
संख्या 225 में दर्ज नाम येनराम पिता लाला के बजाय सही इन्द्राज येना पिता लाला  
दर्ज किया जाना उचित है।

मू अभिलेख निरीक्षक  
जिउ

उदय  
(जिला सेवक)  
पटवारी पटवारी  
पटवार मण्डल कुराबड़  
तहसील-कुराबड़, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय तहसीलदार कुराबड़ जिला उदयपुर

मू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार ग्राम खोदाभूते कागुडा  
की जमाबन्दी की खाता संख्या 225 में दर्ज नाम येनराम पिता लाला  
के बजाय सही नाम येना पिता लाला दर्ज किया जाना  
उचित है।

उदय  
तहसीलदार कुराबड़  
जिला उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिवां जिला उदयपुर

नं०-237/2025

क्रमांक/4034

दिनांक

31/12/25

दिनांक-30/12/25

आदेशः

दिनांक-31/12/25

प्राणी के प्रार्थना एवं तहसीलदार कुराबड़ की रिपोर्ट एवं सलमन

दस्तावेजों के आधार पर राजस्थान मू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ....

खोदाभूते कागुडा की जमाबन्दी की खाता संख्या 225 में दर्ज नाम/इन्द्राज...  
येनराम पिता लाला के बजाय सही नाम/इन्द्राज येना पिता

लाला दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार कुराबड़ आदेशानुसार  
राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करे।

उदय  
उपखण्ड अधिकारी  
गिवां, उदयपुर